न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 22/2010/223 आर टी ए

1. मालाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भैरासिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
2. दिवानासिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
3. मु0 जयदेवी पुत्री मघाराम पत्नि दरियासिंह जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
4. मु0 रोशनी पुत्री मघाराम पत्नि रणवीर जाति जाट निवासी मुकलान तहसील व जिला हिसार।
5. हरदेई पुत्र नन्दराम पत्नि फूलसिंह (फौत)

5/1 रेमश पुत्री हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/2 विघा पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/3 निहाली पत्नि बनवारी पुत्री हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/4 ओमप्रकाश पुत्र बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/5 निम्बो पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/6 इन्द्रा पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/7 सन्तोष पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 236/2002 अनवानी मालाराम बनाम स्टेट आदि

उपस्थित :–
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–19.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर वादी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजात व अन्य साक्ष्यो पर कोई गौर न करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नही किया है कि विवादित भूमि के बाबत स्टेट की तरफ से जैर दफा 175 आरटीए सन् 1986 मे 19 साल बाद पेश किया था जो दावा किसी प्रकार से अन्दर मियाद नही था तथा केवल स्टेट ही उक्त भूमि को आराजीराज दर्ज करवा सकता था, मगर स्टेट का दावा अन्दर मियाद नही होने के कारण खारिज हो गया था तथा उसकी मियाद खत्म हो चुकी है तथा विचारण न्यायालय ने स्टेट की तरफ से इस दावा मे कोई जवाब व साक्ष्य या काउंटर क्लेम न होते हुए विवादित भूमि सिवाय चक दर्ज करने तथा पक्षकारो को बेदखल का आदेश दिया है जबकि वादी व उसके भाईयो को विवादित भूमि से बेदखल करने व कब्जा उनसे प्राप्त करने की रेमेडी आरटी एक्ट मे उपलब्ध नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही किया तथा दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा आदि का कोई विश्लेषण व मूल्यांकन नही किया है तथा ना ही उक्त दावा खारिज करने का कोई तार्किक आधार दर्ज किया है। विवादित भूमि दिनांक 10.04.1967 से पहले मघाराम वादी/अपीलांट के पिता के कब्जा काश्त मे थी तथा उनके फौत होने के बाद वादी/अपीलांट व उसके भाईयो के कब्जा काश्त मे है। उक्त भूमि नन्दराम पुत्र तोताराम व उसके वारिसान का कोई सरोकार नही है तथा राज्य सरकार ने अन्दर मियाद दावा 175 आरटीए का प्रस्तुत नही किया तथा उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। स्टेट की तरफ से कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर बैयनामा दिनांक 10.04.1967 के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण मे वर्णित विवादित भूमि नन्दराम पुत्र तोताराम जाति चमार की भूमि थी जो अपीलांट के पिता मघाराम द्वारा खरीद की गई है। जबकि अपीलांट के पिता मघाराम स्वर्ण जाति का व्यक्ति है और स्वर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि खरीद नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जो विधि

अनुसार सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि नन्दराम पुत्र तोताराम जाति चमार की भूमि थी तथा उक्त भूमि अपीलांट के पिता मघाराम द्वारा दिनांक 10.04.1967 को खरीद करना अंकित किया गया है। जबकि अपीलांट/वादी स्वर्ण जाति का सदस्य था तथा स्वर्ण जाति का सदस्य अनुसूचित जाति के सदस्य से भूमि खरीद नही कर सकता है। उक्त बैयनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबन्धो की रोशनी मे प्रारम्भतः शून्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्ययालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज होने योग्य होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 22/2010/223 आर टी ए

1. मालाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भैरासिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
2. दिवानासिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
3. मु0 जयदेवी पुत्री मघाराम पत्नि दरियासिंह जाति जाट निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
4. मु0 रोशनी पुत्री मघाराम पत्नि रणवीर जाति जाट निवासी मुकलान तहसील व जिला हिसार।
5. हरदेई पुत्र नन्दराम पत्नि फूलसिंह (फौत)

5/1 रेमश पुत्री हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/2 विघा पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/3 निहाली पत्नि बनवारी पुत्री हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/4 ओमप्रकाश पुत्र बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/5 निम्बो पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/6 इन्द्रा पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/7 सन्तोष पुत्री बनवारी पुत्र हरदेई जाति चमार निवासी धानोठी छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्रकरण संख्या 236/2002 अनवानी मालाराम बनाम स्टेट आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.04.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ